न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.

ण सख्या 35/2016 वाद
र दिनांक 22.04..2016
य दिनांक 30.03.2020

अनवान

1. लेहरी बाई पिता खेमा, जाति गाडरी निवासी छापरी ,हाल निवासी पत्नि हिरालाल जाति गाडरी निवासी गांगास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

वादिया

बनाम

1. डालु पिता खेमा जाति गाडरी निवासी छापरी तहसील रेलमगरा
2. लाली पिता खेमा जाति गाडरी पत्नि रामनारायण जाति गाडरी निवास माउ
3. गंगा पिता नाना पत्नि नारायण जाति गाडरी निवासी छापरी हाल निवासी गांगास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. मेवाड आचंलिक ग्रामीण बैक शाखा प्रबन्धक , शाखा दरीबा तहसील रेलमगरा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमंद।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 53 एवं 188 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम छापरी पटवार हल्का धनेरिया में मुझ वादिया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता खेमा पिता भागचन्द गाडरी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की निम्न कृषि आराजीयात स्थित रही है:– खाता सख्या 36 आराजी सख्या 196 ,197 ,198 199 ,200 कुल किता 05 कुल रकबा 07 बिघा 11 बिस्वा। खाता सख्या 37 आराजी संख्या 169,174,176 कुल किता 03 रकबा 17 बिघा 01 बिस्वा प्रमाण में

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नकल जमांबदी सम्वत् 2029 से 2030 की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित खाता सख्या 36 का सम्पुर्ण रकबा खेमा पिता भागचन्द के नाम दर्ज रेकार्ड था तथा खाता संख्या 37 रकबा 1/2 भाग से दर्ज रेकार्ड था । मुझ वादीया के पिता खेता की मृत्यु सन् 1987 में हुई थी। उनकी मृत्यु पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा स्वीर्गीय खेता पिता भागचन्द के विरासत का नामान्तरणकरण खोला गया जिसमें पटवार हल्का ने मुझ वादीया व प्रतिवादी संख्या 02 को छोडकर अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर ही नामान्तरणकरण खोलकर फैसल करवाया, जिससे वर्तमान मे वादग्रस्त आराजीयात अकेले प्रतिवादी सख्या 01 के नाम पर ही दर्ज है। जिसकी जानकारी वादीया द्वारा राजस्व रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई । पटवार हल्का ने मुझ वादीया व मेरी बहन प्रतिवादी सख्या 02 को मुखालते में रखकर प्रतिवादी संख्या 01 ने पटवार हल्का से मिलीभगत कर अकेले के नाम पर नामान्तरण फैसला करवाया है, जबकि वादग्रस्त आराजीयात के खाता संख्या 36 में स्थित भूमि में मुझ वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा बनता है एवं उसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिये था । वादीया व प्रतिवादी संख्या 02 स्वर्गीय खेमा पिता भागचन्द की जाईन्दा पुत्रियां है तथा स्वर्गीय खेमा की प्रथम अनुसुचि के वारिस हैं। जिस कारण स्वर्गीय खेमा को जो आराजीयात अपने पिता भागचन्द से विरासत में प्राप्त हुई उक्त भूमियों में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बराबर हिस्सा बनता है जिसे प्राप्त करने की अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात जो खाता सख्या 36 में वर्णित है उसमें वादीया का 1/3 हिस्सा व खाता सख्या 37 में वर्णित आराजीयात में वादीया 1/6 हिस्सा बनता है एवं अपने इसी हिस्से को अपने नाम घोषित कराने बाबत् वादीया द्वारा उक्त घोषणा का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 36 में 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 37 में 1/6 हिस्सा घोषित फरमाया जाने के बाद वादीया को प्राप्त होने वाली भूमियों का विधिवत विभाजन उपरोक्त हिस्से अनुसार फरमाया जावें। विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित फरमाई जावें। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर है एवं प्रतिवादी संख्या 02 जो कि

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादीया की बहन व स्वर्गीय खेमा की पुत्री है, लेकिन वह वादीया के रूप में शामिल सरीक नहीं होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। अन्यथा उसके विरूद्ध कोई दाद नही चाही गई है। विभाजन पश्चात् वादीया को प्राप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे इस बाबत् उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित फरमाया जावें। वादीया ने आज से एक माह पूर्व प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजीयात में उसके हक एवं हिस्से अनुसार भूमि उसके नाम कराने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 को कहा ता उसने मना कर दिया जिस कारण वादीया को उक्त वादपत्र पेश करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 03 खाता सख्या 37 में सहखातेदार है नाना पिता कालु की पुत्री है तथा नाना की मृत्यु हो जाने से एंव विभाजन का वाद होने से उसे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 04 के यहां डालु पिता खेमा के हिस्से की भूमि रहन होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्ध कोई दाद चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 05 भूमिधारी होने से एवं घोषणा एवं विभाजन का वाद उन्हें से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। अतः प्रार्थना है कि वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे की कलम सख्या 01 में वर्णित खाता सख्या 36 में वादीया क 1/3 हिस्सा एवं खाता सख्या 36 में 1/6 हिस्सा घोषित फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। घोषणा पश्चात् वादीया को प्राप्त होने वाली भूमियों का विधिवत् विभाजन हिस्से अनुसार कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में स्वतंत्र अंकन फरमाया जावें। विभाजन पश्चात् वादीया को प्राप्त होने वाल भूमियों में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की उपयोग उपभोग में बाधा, हस्तक्षेप, दखलन्दाजी कारित नहीं करे इस हेतु उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया उक्त दावे एवं जवाब दावे अनुसार पत्रावली पर तनकीयात विरचित कि गयी । तथा प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित होने से प्रत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 02 तथा प्रतिवादी संख्या 03 पेरोकार सरकार ने जवाब पेश नही करना चाहा। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 लेहरी बाई, के शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य वर्तमान जमाबन्दी की नकले प्रदर्श–01 से लगायत 02 तक, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03, जमाबन्दी सेटलमेन्ट की प्रति प्रदर्श–04 व 05 के प्रस्तुत किये गये।

अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि वादी ने भी उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व किया गया है।

अतः वादीगण का आंशिक रूप से वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम छापरी के आराजी सख्या 196, 197 ,198 199 ,200 कुल किता 05 कुल रकबा 07 बिघा 11 बिस्वा। मे वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हिस्सा आराजी संख्या 169 ,174 ,176 कुल किता 03 रकबा 17 बिघा 01 बिस्वा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रारम्भिक डिक्री

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 35 / 2016

अनवान

1 लेहरी बाई पिता खेमा, जाति गाडरी निवासी छापरी ,हाल निवासी पत्नि हिरालाल जाति गाडरी निवासी गांगास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद। वादिया

बनाम

1. डालु पिता खेमा जाति गाडरी निवासी छापरी तहसील रेलमगरा
2. लाली पिता खेमा जाति गाडरी पत्नि रामनारायण जाति गाडरी निवास माउ
3. गंगा पिता नाना पत्नि नारायण जाति गाडरी निवासी छापरी हाल निवासी गांगास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4. मेवाड आचंलिक ग्रामीण बैक शाखा प्रबन्धक , शाखा दरीबा तहसील रेलमगरा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमंद। प्रतिवादीगण

वा :– वाद बाबत् घोषणा

दी की ओर से :–paras ram jaat , अधिवक्ता

तिवादी की ओर से :– –

में इस आशय मे दिनांक 30 / 03 / 2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीया का आंशिक रूप से वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम छापरी के आराजी सख्या 196, 197 ,198 199 ,200 कुल किता 05 कुल रकबा 07 बिघा 11 बिस्वा। मे वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1 / 3 – 1 / 3 हिस्सा आराजी संख्या 169 ,174 ,176 कुल किता 03 रकबा 17 बिघा 01 बिस्वा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1 / 6 – 1 / 6 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 24 / 12 / 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(दिवांशु शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा